

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 03/2026

अनवान : -


1 राकेश कुमार पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- | | बनाम | वादी |
|---|--|------|
| 1 | रणवीर सिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़। | |
| 2 | नीतू पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी 11 एसएलडब्ल्यू, 2 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़। | |
| 3 | बिन्दू पुत्री रणवीर पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी डबलीकंला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़। | |

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी कुन्दनलाल व विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 11 एस. एल. डब्ल्यू. जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के वर्तमान खाता सं० 79/70 में अंकित कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि में से 0.759 हैक्टेयर भूमि का वादी व 1.012 हैक्टेयर भूमि की प्रतिवादिया सं० 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी अनुसार चक 11 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 79/70 में से प्रतिवादी सं० 1 रणवीर सिंह का हिस्सा कम किया जावे। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 28/01/2026... मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



प्रमुख अधिकारी एवं
पदेन महायुक्त कलेक्टर
टिब्बी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
R.A.S